समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (व
फैक्स न0–0612–2218
Email : dampatnaarmssection@gmail.c
dm-patna.bih@nic

–: आदेश :–

16.08.2013

शस्त्र अपील वाद संख्या–216/2009, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेदक **श्री राजेश कुमार सिंह,** पिता–श्री कृष्णा बिहारी सिंह, सा0–हरिपुर कॉलोनी, पो0–दीघा घाट थाना–दीघा, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन प शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–396/2008 कायम करते हुए अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय द द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक–02.07.2011 को माननीय आयुक्त न्यायालय के द्वार आवेदन पर पुनर्विचार करते हुए तीन माह के अन्दर उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किय गया।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–16.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1396/गो0, दिनांक–22.11.2009 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अधिनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक मे अनुशंसित/अग्रसारित कर मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है तथा पत्रांक–841/गो0, दिनांक–01.06.2013 द्वारा आवेदन पत्र जाँचोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक–1396/गो0, दि0–22.11.2009 के माध्यम से प्रतिवेदन मूल रूप में भवदीय को भेजा गया है। थानाध्यक्ष, दीघा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक राज केमिकल वर्क्स नाम से पेन्ट का व्यवसाय करते हैं। पूर्व में आवेदक के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसके संदर्भ में दीघा थाना कांड सं0–14/2008, दिनांक–29.01.2008 दर्ज है। तदोपरान्त उनके द्वारा जान– माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के बिन्दु 'क', 'ख' एवं 'ग' पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उ
द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पू
अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के दि
पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु श
अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवे
की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्
विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्र
नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवे
श्री राजेश कुमार सिंह, पिता–श्री कृष्णा बिहारी सिंह, सा0–हरिपुर कॉलोनी, पो0–दीघा घ
थाना–दीघा, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र
अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।